राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email-we.wshgi@gmail.com दूरभाष 0141–2716419

दिनांक 20/12/19

क्रमांक एफ 19 ()/WE/WSHGI/BA-120/PIGMPKS/RS-CIT/2019-20/38106

इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना

"महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क RS-CIT प्रशिक्षण"

परिपत्र

उद्देश्य–

वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी युग में कम्प्यूटर मनुष्य की महती आवश्यकता बन चुका है, इससे समय–समय पर समस्त आवश्यक कार्य सुगमता व शीघ्रता से संपन्न होते हैं। दैनिक जीवन के अधिकतर कार्य कम्प्यूटर द्वारा किये जा रहे हैं। इस सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी महिलाओं को दिलवाया जाना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य में महिलाओं को कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं कार्य शैली से अवगत कराये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को बेसिक कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिलवाये जाने का प्रावधान किया गया है।

परिचय–

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की बजट घोषणा 2011–12 के अंतर्गत समाज के सभी वर्गो की महिलाओं यथा गृहणी, किशोरी बालिकाएं, स्वयं सहायता समूह सदस्य, कॉलेज छात्राएं तथा बीपीएल व अल्प संख्यक वर्ग की महिलाओं को कम्प्यूटर बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. के माध्यम से दिलवाया जाएगा, जिसका समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

पाठ्यक्रम–

RS-CIT (राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी) प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अवधि, आयु व अन्य जानकारी निम्नानुसार है–

- प्रशिक्षण 132 घंटे (3 माह) की अवधि का होगा।
- 16–40 वर्ष आयु वर्ग की 10वीं पास महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होगी।

आवेदन प्रक्रिया–

प्रशिक्षण की इच्छुक महिला/ बालिकाओं द्वारा किसी एक कोर्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जावेगा। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in व RKCL की वेबसाइट www.rkcl.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र मय आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं अपनी श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्रों के पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक RKCL पोर्टल के लिंक www.myrkcl.com/wcd पर ऑनलाइन आवेदन करें। **आवेदन पत्र में आधार न0 भी अंकित करे** । ई–मित्र, साईबर कैफे या अन्य किसी माध्यम से www.myrkcl.com/wcd पर ऑन लाईन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से लगाए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण पत्रों का विवरण निम्नानुसार हैः–

शैक्षणिक योग्यता एवं आयु संबंधी अनिवार्य प्रमाण पत्र–

1.RS-CIT कोर्स हेतु 10वी. कक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका
2. आयु सत्यापन हेतु दसवीं उत्तीर्ण प्रमाण--पत्र/जन्म प्रमाण पत्र
3. उच्चतम शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका

विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों में से जो भी लागू हो अवश्य लगाएं–

1. विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाकशुदा के प्रकरण में तलाकनामा/ परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का शपथ पत्र।
2. हिंसा से पीडित महिला के प्रकरण में एफआई आर की प्रति /घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट/महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र / अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति ।
3. साथिन /आंगनबाडी कार्यकर्ता मानदेय कर्मी के रूप में अपनी पहचान का दस्तावेज लगावें। आंगनबाडी कार्यकर्ता स्नातक उत्तीर्ण की अंकतालिका लगाएं।
4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरण में जाति प्रमाण–पत्र।

योजना एवं चुनिन्दा IT ज्ञान केंद्रों की जानकारी विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

चयन प्रकिया–

निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर विभागीय निर्देशानुसार RKCL द्वारा वरियता सूची तैयार कर उपनिदेशक/सहायक. निदेशक, म.अ के लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जायगी। उक्त लॉगिन में उपलब्ध वरियता सूची की जांच कर जिला स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा जिलेवार एवं आई.टी.ज्ञान केन्द्रवार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों का ऑन लाइन चयन किया जायेगाः–

1. **उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग**
2. **उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता**
3. **आर.के.सी. एल. का प्रतिनिधि**

निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में निम्नलिखित वरीयता से प्रशिक्षणार्थियों का चयन निम्नानुसार किया जाएगा:–

i. विधवा /तलाकशुदा/परित्यक्ता
ii. हिंसा से पीडित महिला।
iii. 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण साथिन।
iv. स्नातक उत्तीर्ण आंगनबाडी कार्यकर्ता।

उक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात् शेष रही सीटों हेतु उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। समान शैक्षणिक योग्यता की स्थिति में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को वरियता दी जाएगी एवं समान शैक्षणिक योग्यता एवं समान प्राप्तांक की स्थिति में अधिक उम्र वाले प्रशिक्षणार्थीयों को वरीयता दी जाएगी।

नोटः– आवंटित सीटों में से 18% सीटों पर अनुसूचित जाति एवं 14% सीटों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

प्रशिक्षणार्थियों के आई.टी.ज्ञान केन्द्र वार चयन के उपरात आर.के.सी.एल. द्वारा चयनित प्रशिक्षणार्थियों के मोबाईल/ई–मेल आई.डी पर रफरेन्स नम्बर एवं आई.टी. ज्ञान केन्द्र (जिस हेतु प्रशिक्षणार्थी का चयन हुआ है) की सूचना दी जायेगी जिसके आधार पर प्रशिक्षणार्थी संबंधित आई.टी. ज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु रिर्पोटिंग करेगें। तत्पश्चात् आरकेसीएल द्वारा रिपोर्टिंग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का लर्नर कोड जारी किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थीयों को एक सप्ताह में आई.टी.ज्ञान केन्द्र पर बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाकर नियमित रूप से बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करवानी होगी अन्यथा प्रशिक्षणार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

<u>प्रशिक्षण–</u>

जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित प्रशिक्षणार्थियों को राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. द्वारा उनके चिन्हीत आई.टी. ज्ञान केन्द्रों पर चयनित कोर्स के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन से की जाएगी एवं विभाग द्वारा तय समय पर ही आई.टी. ज्ञान केन्द्रो पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा में भाग लेना होगा। कुल प्रशिक्षण अवधि की 65% से कम बायोमैट्रिक उपस्थिति वाले प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे। परीक्षा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित की जाएगी। उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाण पत्र वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा जारी किये जाएगे।

भुगतान–

योजनान्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा RKCL को दो किश्तों में भुगतान किया जाएगा। **प्रथम किश्त का भुगतान उन्हीं प्रशिक्षणार्थियों हेतु किया जाएगा जिनका लर्नर कोड जारी किया गया है एवं बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन है। प्रथम किश्त अन्तर्गत 'राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी' RS-CIT कोर्स प्रशिक्षण हेतु रू 2700 प्रति संभागी के 50 % राशि का भुगतान किया जाएगा। द्वितीय किश्त के रूप में शेष 50 % का भुगतान प्रशिक्षणार्थियों के उत्तीर्ण होने, आई.टी.ज्ञान केन्द्रों द्वारा जनप्रतिनिधि से प्रशिक्षण के उद्घाटन/निरीक्षण/समापन करवाने एवं 65 % से अधिक बायोमैट्रिक उपस्थिति होने पर किया जाएगा। योजनान्र्तगत दोनों किस्तों का भुगतान जिला स्तर पर उपनिदेशक/सहायक निदेशक/ महिला अधिकारिता द्वारा किया जाएगा।**

संलग्नः–आवेदन पत्र एवं सामान्य निर्देश।

अतिरिक्त निदेशक(SHG)
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

38107-245

क्रमांक एफ 19 ( )/WE/WSHGI/BA-120/PIGMPKS/RS-CIT/2019-20/ दिनांक 20/12/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु : –

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया, मबावि, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, समस्त।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त ।
8. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि.(RKCL) झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
11. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
12. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त जिले।
13. उपनिदेशक/ सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, समस्त जिले।
14. प्रोग्रामर मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

अतिरिक्त निदेशक (SHG)

-आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश–

पाठ्यक्रम–

1– राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी (RS-CIT)-

- प्रशिक्षण 132 घंटे (3 माह) की अवधि का होगा।
- 16–40 वर्ष आयु वर्ग की 10वीं पास महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होगी।

आवेदन प्रक्रिया–

- प्रशिक्षण की इच्छुक महिला/बालिका द्वारा RS-CIT कोर्स के लिए आनलाईन आवेदन किया जावेगा। आवेदन पत्र में वरीयता अनुसार दो इच्छित आई.टी.ज्ञान केन्द्रों के नाम अंकित करें।
- प्रशिक्षणार्थी आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in व RKCL की वेबसाइट www.rkcl.in से डाउनलोड कर सकते है।
- आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं अपनी श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों के साथ निर्धारित तिथि तक ई–मित्र, साईबर कैफे या अन्य किसी माध्यम से www.myrkcl.com/wcd पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- योजना एवं चुनिन्दा आई.टी.ज्ञान केन्द्रों की जानकारी विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
- आवेदक की आयु सत्यापन हेतु दसवीं की अंक तालिका / प्रमाण–पत्र लगाना आवश्यक है।
- वरियता हेतु उच्चतम शैक्षणिक योग्यता की अंक तालिका अवश्य लगावें।
- विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों में से जो भी लागू हो अवश्य लगाएं–

  1. विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाकशुदा के प्रकरण में तलाकनामा/परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का शपथ पत्र।

  2. हिंसा से पीडित महिला के प्रकरण में एफआई आर की प्रति /घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट/महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र / अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति ।

  3. साथिन /आंगनबाडी कार्यकर्ता मानदेय कर्मी के रूप में अपनी पहचान का दस्तावेज लगावें। आंगनबाडी कार्यकर्ता स्नातक उत्तीर्ण की अंकतालिका लगाएं।

  4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरण में जाति प्रमाण–पत्र।

निःशुल्क आवेदन प्रपत्र

महिला एंव बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार
इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना
महिलाओं को निःशुल्क RS-CIT प्रशिक्षण

Rajasthan Knowledge Corporation Limited

प्रशिक्षण हेतु वरीयता क्रम में आई.टी. ज्ञान केन्द्रों का विवरण :

विकल्प	आई.टी. ज्ञान केन्द्र का कोड नं.	आई.टी. ज्ञान केन्द्र का नाम
1.	....	....
2.	....	....

प्रशिक्षणार्थी का नामः प्रथम नाम.................................... मध्यम नाम.................................. अन्तिम नाम.....................

पिता का नामः..माता का नामः.......................................

जन्म तिथि :(दिन/महिना/वर्ष) :...

वैवाहिक स्थितिः :☐अविवाहित ☐विवाहित

☐तलाकशुदा ☐ विधवा ☐ परित्यकता

Photo

मोबाइल नंबरः.. ई–मेल आई.डी.:..

आधार कार्ड नम्बर.. भामाशाह कार्ड न..

स्थायी पता : मकान न./गली/मौहल्लाः.. शहर/कस्बा/गॉवः..

ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम...

तहसील :..जिलाः.. पिन कोडः......................................

श्रेणी : (सम्बन्धित श्रेणी पर टिक करें एवं विवरण डाले)
☐सामान्य
☐अनुसूचित जाति
☐अनुसूचित जनजातिः जनजाति उपयोजना (टीएसपी) : तहसीलः.................................. जिलाः.....................
गैर–जनजाति उपयोजना (नॉन–टीएसपी)(माडा अथवा बिखरी)
☐सहरिया
☐अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन किमी लेयर)
☐विशेष पिछड़ा वर्ग (नॉन किमी लेयर)

जाति :.. धर्म :☐ हिन्दू ☐मुस्लिम ☐ सिक्ख ☐ इसाई ☐ जैन ☐ पारसी ☐अन्य

महिला श्रेणी : ☐ आंगनबाडी कार्यकर्ता ☐ साथिन ☐ हिंसा से पीडित महिला

शैक्षणिक योग्यता :

योग्यता	बोर्ड/यूनिवर्सिटी	प्रतिशत	पास करने का महिना एवं वर्ष
दसवी (आरएस–सीआईटी हेतु अनिवार्य)			
उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र बाहरवी/डिप्लोमा/ डिग्री/ स्नातकोत्तर			

- <u>शैक्षणिक योग्यता एवं आयु संबंधी अनिवार्य प्रमाण पत्र–</u>

1.RS-CIT कोर्स हेतु 10वी. कक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका ।
2. आयु सत्यापन हेतु दसवीं उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र/जन्म प्रमाण पत्र
3. उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र

- विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों में से जो भी लागू हो अवश्य लगाएं–

1. विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाकशुदा के प्रकरण में तलाकनामा/ परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का शपथ पत्र।
2. हिंसा से पीडित महिला के प्रकरण में एफआई आर की प्रति /धरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत [illegible] रिपोर्ट / महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र / अपराजिता पर [illegible]
3. साथिन /[illegible]

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 19 (1)/WE/SHG/BA-120/RS-CIT/2019-20 **दिनांक**

उपनिदेशक/सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
जिला समस्त।

विषय :– इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना अंतर्गत वर्ष 2023–24 में महिलाओं/बालिकाओं को RKCL के माध्यम से RS-CIT, RS-CFA एवं RS-CSEP कोर्स का प्रशिक्षण करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2023–24 में इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना अंतर्गत महिलाओं/बालिकाओं को RKCL के माध्यम से निःशुल्क RS-CIT, RS-CFA एवं RS-CSEP कोर्स के प्रशिक्षण करवाये जाने है। इस बाबत ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया दिनांक 08.09.2023 को समाप्त हो चुकी है। अब निःशुल्क RS-CIT, RS-CFA एवं RS-CSEP कोर्स के प्रशिक्षण हेतु प्राप्त आवेदनों में से निर्धारित मापदंड अनुसार आवेदकों का चयन कर प्रशिक्षण करवाया जाना है। इस हेतु RKCL के द्वारा उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मअ. के लॉगिन में आवेदकों का डाटा दिनांक 18.09.2023 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा। आवेदनों का चयन उपनिदेशक, मबावि, उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मअ. एवं प्रभारी RKCL प्रतिनिधि की चयन समिति द्वारा निम्नानुसार चरणबद्ध तरिके से किया जाना है –

1. लॉगिन खोलने हेतु RKCL के द्वारा लॉगिन एवं पासवर्ड समस्त जिलों के उपनिदेशक/सहा. निदेशक, मअ. को पूर्व में उपलब्ध करवाये जा चुके है।
2. उपनिदेशक/सहा. निदेशक, मअ. के लॉगिन पर समस्त आवेदन पत्रों की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में कम्प्यूटर द्वारा बनायी गयी मेरिट लिस्ट के क्रम में आई.टी. ज्ञान केन्द्रवार दिखाई देगी।
3. लॉगिन पर दिखाई देने वाली सूची में से, चयन समिति/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मअ. को महिलाओं/बालिकाओं का चयन RS-CIT, RS-CFA एवं RS-CSEP प्रशिक्षण हेतु करना है, यदि किसी के चयन पर कोई आपत्ति है तो साईट पर कारण दर्ज करते हुए उसे निरस्त कर उसके आगे का नाम का चयन कर सकते हैं। इस कार्य में सहयोग हेतु RKCL का प्रतिनिधि मौजूद रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Miss Renu Jaipal
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 16:52:19 IST
Reason: Approved

4. RS-CIT पाठ्यक्रम हेतु विभाग द्वारा निर्धारित वरियता श्रेणी– 1. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता, 2. हिंसा से पिडित महिला 3. कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण साथिन 4. स्नातक उत्तीर्ण आंगनबाडी कार्यकर्ता, 5. प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 10 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं स्नातक है 6. प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 10 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं आयु 25 वर्ष या अधिक है 7. प्रशिक्षणार्थी जो कि स्नातक है कि प्रति ज्ञानकेन्द्र अधिकतम 30 सीटों पर चयन करना है। इसके पश्चात प्रति ज्ञानकेन्द्र 7 सीटों पर ओर चयन करना है जिनमें से 1 एसटी एवं 1 एससी श्रेणी की होगी। उक्त श्रेणी के अभ्यार्थी नहीं मिलने की स्थिति में इनके स्थान पर सामान्य श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा।

5. RS-CFA पाठ्यक्रम हेतु विभाग द्वारा निर्धारित वरियता श्रेणी– 1. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता, 2. हिंसा से पिडित महिला 3. प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 12 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं स्नातक है 4. प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 12 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं आयु 25 वर्ष या अधिक है 5. प्रशिक्षणार्थी जो कि स्नातक है के आधार पर प्रति आईटी ज्ञानकेन्द्र 7 सीटों पर चयन किया जाना है जिनमें से 1 एसटी एवं 1 एससी श्रेणी की होगी। उक्त श्रेणी के अभ्यार्थी नहीं मिलने की स्थिति में इनके स्थान पर सामान्य श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा।

6. RS-CSEP पाठ्यक्रम हेतु विभाग द्वारा निर्धारित वरियता श्रेणी– 1. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता, 2. हिंसा से पिडित महिला 3. प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 12 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं स्नातक है 4. प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 12 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं आयु 25 वर्ष या अधिक है 5. प्रशिक्षणार्थी जो कि स्नातक है के आधार पर जिला स्तर के आईटी ज्ञान केन्द्र हेतु 55 सीट प्रति ज्ञान केन्द्र (सामान्य श्रेणी की 37, अनुसुचति जाति 10 तथा अनुसुचित जनजाति 8) तथा तहसिल स्तर के आईटी ज्ञान केन्द्र हेतु 25 सीट प्रति ज्ञान केन्द्र (सामान्य श्रेणी की 17, अनुसुचति जाति 05 तथा अनुसुचित जनजाति 03) पर चयन किया जाना है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में इनके स्थान पर सामान्य श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा।

7. जिला स्तर पर चयन समिति द्वारा आईटी ज्ञानकेन्द्र वार ऑनलाईन चयन दिनांक 18.09.2023 से 09.10.2023 तक किया जायेगा।

8. RKCL के द्वारा प्रशिक्षाणार्थियों को प्रशिक्षण में उपस्थित होने बाबत एस.एम.एस. द्वारा सूचना दिनांक 10.10.2023 से 11.10.2023 तक दी जायेगी।

9. प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्रशिक्षण हेतु आईटी ज्ञान केन्द्रों पर रिपोर्टिंग दिनांक 12.10.2023 से 16.10.2023 तक दी जायेगी।

10. निःशुल्क RS-CIT, RS-CFA एवं RS-CSEP कोर्स के प्रशिक्षण हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण दिनांक 17.10.2023 से आरम्भ किया जायेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Miss Renu Jaipal
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 15:52:19 IST
Reason: Approved

11.प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें–

अ– प्रशिक्षण का निरीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट निदेशालय को प्रस्तुत की जाये

ब– प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण के संबंध में ऑनलाईन फीडबैक फॉर्म भरवाया जाए।

स– विभाग द्वारा समय– समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(रेणु जयपाल)
आयुक्त
महिला अधिकारिता
राज., जयपुर

क्रमांक एफ 19 (1)/WE/SHG/BA-120/RS-CIT/2019-20 **दिनांक**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, जयपुर।
3. प्रबंध निदेशक, RKCL, 7-A, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि बिन्दु संख्या 4, 5 व 6 में दिये गये दिशा– निर्देशानुसार प्रशिक्षणार्थियों की वरीयता सूची तैयार कर दिनांक 18.09.2023 तक उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मअ. के लॉगिन में उपलब्ध करावें। प्रशिक्षण समय से प्रारम्भ करवाने, उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मअ. को रिर्पोटिंग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूची समय पर उपलब्ध करवाने, प्रशिक्षणार्थियों से ऑनलाईन फीडबैंक फॉर्म भरवाए जाने हेतु संबंधित को निर्देश प्रदान करायें।
4. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
6. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मबावि., समस्त जिला।
7. प्रोग्रामर, मअ. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।
8. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
महिला अधिकारिता

Signature Not Verified

Digitally signed by Miss Renu Jaipal
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 16:52:19 IST
Reason: Approved